रजिस्ट्री सं० डीएल-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 127] नई दिल्ली, बीरवार, जुलाई 18, 1996/आषाढ़ 27, 1918
No. 127] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 1996/ASADHA 27, 1918

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY Date— GOVT. OF INDIA

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

बीमा प्रभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1996

भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी 1 अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1996

सा. का. नि. 286(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी 1 अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना :—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी 1 अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1996 है ।

(2) इसमें इसके पश्चात् अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों के उपबंधों को 1 अगस्त, 1992 से प्रवृत्त समझा जाएगा :

परन्तु यह कि यदि कोई श्रेणी 1 अधिकारी राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर निगम को इन नियमों में से किन्हीं नियमों के उपबंधों द्वारा, उस तारीख से जो उस तारीख से पूर्व न हो जिस तारीख को उक्त नियम प्रवृत्त होते हैं, शासित होने के अपने विकल्प की लिखित में सूचना देता है, तो निगम ऐसे अधिकारी को उक्त तारीख से, उक्त नियम द्वारा शासित होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा :

परन्तु यह और कि ऐसा कोई विकल्प श्रेणी 1 अधिकारी द्वारा इन नियमों के नियम 9क के संबंध में प्रयोग नहीं किया जा सकेगा :

परन्तु यह भी कि इस प्रकार चुनी गई तारीख से पूर्व की अवधि के लिए ऐसे अधिकारी को कोई बकाया संदेय नहीं होगा ।

2. **भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी 1 अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—**

"4. श्रेणी 1 अधिकारियों के वेतनमान :

श्रेणी 1 अधिकारियों के वेतनमान निम्नलिखित होंगे :—

(1)(i) क्षेत्रीय प्रबंधक/केन्द्रीय कार्यालय में विभागों के प्रमुख	(क) सामान्य वेतनमान : 11450-300-12650 रु.
	(ख) चयन वेतनमान : 12650-300-13250-350-13600-400-14000 रु.

(ii) मुख्य इंजीनियर/मुख्य वास्तुविद् 13600-400-14000 रु.

टिप्पण : (1) केन्द्रीय कार्यालय में किसी विभाग के भारसाधक के रूप में पदस्थ चयन वेतनमान के अधिकारी कार्यकारी निदेशक के रूप में पदाभिहित होंगे।

(2) यद्यपि सामान्यतया केन्द्रीय कार्यालय में विभागों के प्रमुख, क्षेत्रीय प्रबंधकों के काडर में से लिए जाएंगे तथापि जहां इस काडर में इन पदों को भरने हेतु उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों वहां उन्हें केन्द्रीय कार्यालय के उप क्षेत्रीय प्रबंधकों/वरिष्ठ मंडल प्रबंधकों/सचिवों/बीमांककों/लेखाकारों के काडर में से लिया जा सकेगा तथा उन्हें प्रमुख भारसाधक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा ।

(2) (i)	केन्द्रीय कार्यालय के उप क्षेत्रीय प्रबंधक/ज्येष्ठ मंडल प्रबंधक और सचिव बीमाकंक/लेखाकार	10450-250-11450 रु.
(ii)	उप मुख्य इंजीनियर/उप मुख्य वास्तुविद् ।	
(3) (i)	क्षेत्रीय कार्यालय के मंडल प्रबंधक और सचिव/बीमांकक/लेखाकार/केन्द्रीय कार्यालय के उप सचिव (लेखापरीक्षा) उप सचिव (निरीक्षण) उप सचिव/उप बीमांकक/उप लेखाकार।	8970-130-9200-250-10450 रु.
(ii)	अधीक्षक इंजीनियर/ज्येष्ठ कार्य सर्वेक्षक/ज्येष्ठ वास्तुविद्	
(4) (i)	केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक मंडल प्रबंधक/ज्येष्ठ शाखा प्रबंधक और सहायक सचिव/सहायक बीमांकक/सहायक लेखाकार	7360-230-9200-250-9950 रु.
(ii)	कार्यपालक इंजीनियर/संकर्म सर्वेक्षक/उप ज्येष्ठ वास्तुविद्	
(5) (i)	शाखा प्रबंधक/प्रशासनिक अधिकारी।	5980-230-8970 रु.
(ii)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर/सहायक संकर्म सर्वेक्षक/वास्तुविद्	
(6) (i)	सहायक शाखा प्रबंधक/सहायक प्रशासन अधिकारी	4250-230-4940-350-5290-230-8510 रु.
(ii)	सहायक इंजीनियर/सहायक वास्तुविद्	

परन्तु अधिकारी को 1 अगस्त, 1992 से 31 मार्च, 1993 की अवधि के लिए कोई बकाया संदेय नहीं होगा ।

टिप्पण :— क्रम सं. 1 से 6 के अन्तर्गत प्रविष्टि (ii) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त अधिकारियों के संबंध में एक पृथक् ज्येष्ठता सूची रखी जाएगी ।

3. उक्त नियमों के नियम 5 में,—

(अ) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) श्रेणी 1 अधिकारियों को लागू महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा :—

(क) सूचकांक	औद्योगिक कर्मकारों का अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक 1960=100 की श्रंखला में सूचकांक संख्या 1148
(ख) आधार	
(ग) दर	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 1148 प्वाइंटों से ऊपर त्रैमासिक औसत में प्रत्येक 4 प्वाइंटों के लिए श्रेणी 3 अधिकारियों को महंगाई भत्ता निम्नलिखित दर पर दिया जाएगा :—
मूल वेतन :	प्रत्येक 4 प्वाइंटों के लिए महंगाई भत्ते की दर
(i) 4800 रु. तक	मूल वेतन का 0.35 प्रतिशत
(ii) 4801 रु. से 7700 रु. तक	4800 रु. का 0.35 प्रतिशत धन 4800 रु. से अधिक मूल वेतन का 0.29 प्रतिशत
(iii) 7701 रु. से 8200 रु. तक	4800 रु. का 0.35 प्रतिशत धन 7700 रु. और 4800 रु. के बीच के अन्तर का 0.29 प्रतिशत धन 7700 रु. से अधिक मूल वेतन का 0.17 प्रतिशत
(iv) 8201 रु. और उससे अधिक	4800 रु. का 0.35 प्रतिशत धन 7700 रु. और 4800 रु. के बीच के अन्तर का 0.29 प्रतिशत और 8200 रु. और 7700 रु. के बीच के अन्तर का 0.17 प्रतिशत धन 8200 रु. से अधिक मूल वेतन का 0.09 प्रतिशत"

परन्तु यह कि 1 अगस्त, 1992 से 31 मार्च, 1993 की अवधि के लिए अधिकारी को कोई बकाया संदेय नहीं होगा।

(अ) उपनियम (2) में "600 प्वाइंटों से ऊपर होने पर 600-604-608-612" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1148 प्वाइंटों से ऊपर होने पर 1148-1152-1156-1160" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 6 में,—

(1) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) श्रेणी 1 अधिकारियों को संदेय मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 12.5 प्रतिशत की दर पर दिया जाएगा जो अधिक से अधिक 875 रु. प्रतिमास होगा ।"

(2) उपनियम (2) का लोप किया जाएगा, और

(3) उपनियम (3) को उपनियम (2) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपनियम (2) में "उपनियम (1) या उपनियम (2)" शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं के स्थान पर "उपनियम (1)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

5. उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, और वह 1 अगस्त, 1993 से प्रवृत्त समझा जाएगा, अर्थात्:—

"7 नगर प्रतिकरात्मक भत्ता:

श्रेणी 1 अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ते का मापमान निम्नानुसार होगा:—

	तैनाती का स्थान	दर
(i)	वे नगर जिनकी आबादी 12 लाख से अधिक है, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गोवा राज्य का कोई नगर, गुड़गांव, वाशी और गांधीनगर	मूल वेतन का 4.5 प्रतिशत किन्तु 335 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं
(ii)	वे नगर जिनकी आबादी 5 लाख और उससे अधिक है किन्तु 12 लाख से अधिक नहीं है, राज्यों की राजधानियां जिनकी आबादी 12 लाख से अधिक नहीं है, चण्डीगढ़, मोहाली, पाण्डीचेरी, पोर्ट ब्लेयर और पंचकुला नगर	मूल वेतन का 3.5 प्रतिशत किन्तु 230 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं

टिप्पणी : 1. इस नियम के प्रयोजन के लिए आबादी के आंकड़े वे होंगे जो नवीनतम जनगणना में दिए गए हैं ।

2. नगरों के अन्तर्गत उनकी नगर बस्तियां भी हैं ।

इस नियम के प्रयोजन के लिए नियम 4 के उपबंध, 1 अगस्त, 1993 को प्रवृत्त समझे जाएंगे ।

6. उक्त नियमों के नियम 7क में (1), (2), और (3) प्रविष्टियों के सामने स्तम्भ 2 में "7 प्रतिशत", " 5 प्रतिशत" और "5 प्रतिशत" अंकों और शब्दों के स्थान पर क्रमश: "4 प्रतिशत", "3 प्रतिशत" और "3 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

7. उक्त नियमों में "फिट भत्ते" से संबंधित नियम 7ख को 7ष के रूप में पुर्नसंख्यांकित किया जाएगा ।

8. उक्त नियमों के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा और वह 1 नवंबर, 1993 से प्रवृत्त समझा जाएगा, अर्थात्:—

"8 भविष्य निधि:

(1) परिवीक्षाधीन अधिकारी या अस्थायी आधार पर नियुक्त अधिकारी या ओरियण्टल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्थानांतरित कर्मचारी जो उस कंपनी की पेंशन निधि में अभिदाय कर रहा है से भिन्न निगम का प्रत्येक श्रेणी 1 अधिकारी, निगम द्वारा स्थापित भविष्य निधि में प्रतिमास अपने मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से अभिदाय करेगा निगम भविष्य निधि में ऐसे प्रत्येक अधिकारी के वास्तविक अभिदाय के बराबर रकम का अभिदाय करेगा किन्तु वह ऐसे अधिकारी के मूल वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु, निगम से भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 द्वारा शासित अधिकारी के संबंध में भविष्य निधि में अभिदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण :—इस नियम के प्रयोजन के लिए, नियम 4 के उपबंध 1 नवंबर, 1993 से प्रवृत्त समझे जाएंगे ।

(2) श्रेणी 1 अधिकारी जो ओरियण्टल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्थानांतरित कर्मचारी हैं और जो उस कंपनी की पेंशन निधि में अभिदाय कर रहे हैं, निगम द्वारा स्थापित भविष्य निधि में अभिदाय करने के लिए अनुज्ञात होंगे परन्तु ऐसे अधिकारियों के संबंध में भविष्य निधि में निगम से अभिदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।"

9. उक्त नियमों के नियम 9 में,—

(1) उप-नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण:** इस नियम के प्रयोजन के लिए नियम 4 के उपबंध 1 अगस्त, 1994 को प्रवृत्त समझे जाएंगे ।"

उक्त नियमों के नियम 9 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा और वह 1 नवंबर, 1993 को प्रवृत्त समझा जाएगा, अर्थात्:—

"9क नियत वैयक्तिक भत्ता :

(1) प्रथम नियुक्ति पर परिवीक्षाधीन अधिकारी या जो उसे लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है या वह जो 1 नवंबर, 1993 को नियम 4क में निर्दिष्ट एक या अधिक वेतन वृद्धियां प्राप्त कर रहा है, से भिन्न श्रेणी 1 अधिकारी के कंप्यूटरीकरण के कारण, 1 नवंबर, 1993 को उसे लागू वेतनमान में एक वेतन वृद्धि संदत्त की जाएगी ।

परन्तु यह कि श्रेणी 1 अधिकारी जो निगम की सेवा में अपनी प्रथम नियुक्ति पर 1 नवंबर, 1993 को परिवीक्षाधीन था को, पुष्टि के पश्चात् एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर एक वेतनवृद्धि संदत्त की जाएगी ।

(2) एक श्रेणी 1 अधिकारी जो उसे लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है या जो 1 नवंबर, 1993 को नियम 4क में निर्दिष्ट एक या अधिक अतिरिक्त वेतन वृद्धियां प्राप्त कर रहा है, को कंप्यूटरीकरण के कारण, 1 नवंबर, 1993 को उसे लागू वेतनमान में अंतिम वेतन वृद्धि 1 नवंबर, 1993 को उस पर महंगाई भत्ते और उस पर मकान किराया भत्ता, यदि कोई है के बराबर नियत वैयक्तिक भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

(3) एक श्रेणी 1 अधिकारी जो कंप्यूटरीकरण के कारण एक वेतन वृद्धि प्राप्त कर रहा है और जो उसे लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है को, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उपनियम (2) में निर्दिष्ट नियत वैयक्तिक भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

(4) नियत वैयक्तिक भत्ता, जब तक यह 1 नवंबर, 1993 को उसे लागू वेतनमान में अंतिम वेतनवृद्धि की रकम से अधिक नहीं होता है, भविष्य निधि और उपदान तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 के अधीन संदेय पेंशन के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण :— श्रेणी III या श्रेणी II का कोई कर्मचारी जो नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त कर रहा था और जिसे 1 नवंबर, 1993 को या उसके पश्चात् श्रेणी I के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है, ऐसा नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करता रहेगा ।

11."उक्त नियमों में, अन्त:स्थापित नियम 9क के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाएगा, जिसे 1 अगस्त, 1994 से प्रवृत्त समझा जाएगा, अर्थात्:—

"9ख वाहन भत्ता :

निगम की स्कीमों में से किसी स्कीम के अधीन किसी वाहन भत्ता प्राप्त कर रहे किसी अधिकारी से भिन्न प्रत्येक श्रेणी 1 अधिकारी को 100 रु. प्रतिमास का वाहन भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

[फा. सं. 2(1)/बीमा III/96(i)]

सी. एस. राव, संयुक्त सचिव, (बीमा)

स्पष्टीकारक ज्ञापन : केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से भारतीय जीवन बीमा निगम के श्रेणी I अधिकारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों को पुनरीक्षित करने की मंजूरी दे दी है । तदनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 को इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से संशोधित किया जा रहा है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण :—मूल नियम सा. का. नि. 794(अ), तारीख 11-10-1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उसमें सा. का. नि. सं. 960 (अ),तारीख 7-12-1987, सा. का.नि.सं. 493(अ), तारीख 22-4-1988, सा.का.नि. सं. 972(अ), तारीख 22-8-1988, सा.का.नि. सं. 711(अ), तारीख 25-7-1989, सा.का.नि. सं. 816(अ), तारीख 11-10-1990, सा.का.नि. सं. 324(अ), तारीख 10-3-1992, सा.का.नि. सं. 53(अ),तारीख 2-2-1994, सा.का.नि. सं. 597(अ), तारीख 30-6-1995 और सा. का. नि. सं. 94(अ), तारीख 16-2-1996 द्वारा संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

INSURANCE DIVISION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 1996

Life Insurance Corporation of India Class I Officers

(Revision of Terms and Conditions of Service)

(Amendment) Rules, 1996.

G.S.R. 286(E).—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, namely:—

1. Short title, commencement and application:

(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 1996.

(2) Save as otherwise provided hereinafter, the provisions of these rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 1992:

Provided that where any Class I officers gives a notice in writing to the Corporation, within thirty days of the publication of these rules in the Official Gazette, expressing his option to be governed by the provisions of any of these rules from a date not earlier than the date on which the said rule comes into force, then the Corporation may, by order permit such Officer to be governed by the said rule with effect from the said date:

Provided further that no such option may be exercised by a Class I Officer in respect of rule 9A of these rules:

Provided also that no arrears for the period prior to the date so chosen shall be payable to such officer.

2. In the life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 (hereinafter referred to as the "said rules"), for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—

"4. Scales of Pay of Class I Officers:

The scales of Pay of Class I Officers shall as under:—

(1) (i)	Zonal Managers/Chiefs of Departments at Central Office.	(a) Ordinary Scale: Rs. 11450-300-12650 (b) Selection Scale: Rs. 12650-300-13250-350-13600-400-14000
(ii)	Chief Engineers/Chief Architects	

Notes: (1) Officers in Selection Scale posted in-charge of a Department at the Central Office will be designated as executive Directors.

(2) While Chiefs of Department at Central Office would normally be drawn from the cadres of Zonal Managers, where suitable Officers for filling up these posts are not available from this cadre, they may be drawn from the cadre of Deputy Zonal Managers/Senior Divisional Managers/Secretaries/Actuaries/Accountants at Central Office and they will be designated as Chief-in-Charge.

(2) (i)	Deputy Zonal Manager/Senior Divisional Managers and Secretaries/Actuaries/Accountants at the Central Office	Rs. 10450-250-11450
(ii)	Deputy Chief Engineer/Chief Architects	
(3) (i)	Divisional Manager and Secretaries/Actuaries/Accountants at the Zonal Officers Deputy Secretary (Audit) Deputy Secretary (Inspection) Deputy Secretaries/Deputy Actuaries/Deputy Accountants at the Central Office.	Rs. 8970-230-9200-250-10450
(ii)	Superintending Engineers/Senior Surveyors of works/Senior Architects.	
(4) (i)	Assistant Divisional Managers/Senior Branch Managers and Assistant Secretaries/Assistant Actuaries/Assistant Accountants at the Central Office and the Zonal Offices.	Rs. 7360-230-9200-250-9950
(ii)	Executive Engineers/Surveyors of Works/Deputy Senior Architects.	
(5) (i)	Branch Managers/Administrative Officers	
(ii)	Assistant Executive Engineers/Assistant Surveyors of Works/Architects.	Rs. 5980-230-8970
(6) (i)	Assistant Branch Managers/Assistant Administrative Officers	
(ii)	Assistant Engineers/Assistant Architects	Rs. 4250-230-4940-350-5290-230-8510:

Provided that no arrears for the period from the 1st day of August, 1992 to the 31st day of March, 1993 shall be payable to the Officer.

Notes: A separate seniority list shall be maintained in respect of Officers appointed to posts specified in entry (ii) under serial numbers 1 to 6."

3. In rule 5 of the said rules,—

(A) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The scales of dearness allowance applicable to Class I Officers shall be determined as under:—

(a) Index: All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

(b) Base : Index Number 1148 in the Series 1960=100.

(c) Rate : For every four points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 1148 points, Class I Officers may be paid dearness allowance at the following rates:—

Basic Pay	Rate of dearness allowance for every 4 points

(i)	Upto Rs. 4800	0.35% of basic pay
(ii)	Rs. 4801 to 7700	0.35% of Rs. 4800 plus 0.29% of basic pay in excess of Rs. 4800.
(iii)	Rs. 7701 to 8200	0.35% of Rs. 4800 plus 0.29% of difference between Rs. 7700 and Rs. 4800 plus 0.17% of basic pay in excess of Rs. 7700.
(iv)	Rs. 8201 and above	0.35% of Rs. 4800 plus 0.29% of difference between Rs. 7700 and Rs. 4800 plus 0.17% of difference between Rs. 8200 and Rs. 7700 plus 0.09% of basic pay in excess of Rs. 8200.

Provided that no arrears for the period from the 1st day of August, 1992 to the 31st day of March, 1993 shall be payable to the Officer."

(B) In sub-rule (2), for the figures and words "600 points in the sequence 600-604-608-612", the figures and words "1148 points in the sequence 1148-1152-1156-1160" shall be substituted."

4. In the said rules, in rule 6,

(1) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The house rent allowance payable to Class I Officers shall be at the rate of 12.5 per cent of the basic pay, subject to a maximum of Rs. 875/- per month."

(2) sub-rule (2) shall be deleted; and

(3) sub-rule (3) shall be re-numbered as sub-rule (2) and in the sub-rule (2) so renumbered, for the words, brackets and numbers "either sub-rule (1) or sub-rule (2)" the words, bracket and number "sub-rule (1)" shall be substituted.

5. For rule 7 of the said rules, the following rule shall be substituted, and shall be deemed to have taken effect from the 1st day of August, 1993, namely:—

"7. City Compensatory Allowance:

The scales of city compensatory allowance payable to Class I Officers shall be as under:

	Place of Posting	Rate
(i)	Cities with population exceeding 12 lacs, Faridabad, Ghaziabad, Noida, any city in the state of Goa. Cities of Gurgaon, Vashi and Gandhinagar.	4.5% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 335/- per month.
(ii)	Cities with population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs, State Capitals with population not exceedings 12 lacs, Chandigarh, Mohali, Pondicherry, Port Blair and the city of Panchkula.	3.5% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 230/- per month.

Notes: 1. For the purpose of this rule, the population firgures shall be those in the latest Census Report.

2. Cities shall include their urban agglomerations.

Explanation: For the purpose of this rule, the provisions of rule 4 shall be deemed to have come into force as on the 1st day August, 1993."

6. In rule 7A of the said rules, in column 2, against entries (i), (ii) and (iii), for the figures and words, "7 per cent", "5 per cent", and "5 per cent", the figures and words "4 per cent", "3 per cent", and "3 per cent" respectively shall be substituted.

7. In the said rule, rules 7B relating to "Kit Allowance" shall be renumbered as 7D.

8. For rules 8 of the said rules, the following rule shall be substituted and shall be deemed to have taken effect from the 1st day of November, 1993 namely:—

"8. Provident Fund:

(1) Every Class I Officer of the Corporation, other than an officer on probation or an officer appointed on a temporary basis or a transferred employee of the Oriental Government Security Life Assurance Company Limited, who is contributing to the Pension fund of that Company, shall contribute every month to the Provident Fund established by the Corporation at the rate of ten per cent of his basic pay. The Corporation shall contribute to the Provident Fund an amount equal to the actual contribution of each such officer subject to a maximum of ten percent of the basic pay of each such officer:

Provided that the Corporation shall not be required to make any such contribution to the Provident fund in respect of an officer governed by the Life Insurance Corporation of India (Employees) Pension Rules, 1995.

Explanation: For the purpose of this rule, the provisions of rule 4 shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1993.

(2) Class I officers who are transferred employees of the Oriental Government Security Life Assurance Company Limited and who are contibuting to the Pension Fund of that company shall be permitted to contribute to the Provident Fund established by the Corporation but the Corporation shall not be requied to make any contribution to the Provident Fund in respect of such Officers."

9. In the said rules, in rule 9.—

(1) After sub-rule (5), the following explanation shall be inserted, namely:—

"**Explanation:** For the purpose of this rule, the provisions of rule 4 shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 1994."

After rule 9 of the said rules, the following rule shall be inserted and shall be deemed to have taken effect from the 1st day of November, 1993, namely:—

"9a. Fixed Personal Allowance:

(1) A Class I officer other than an Officer on probation on first appointment or who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him or who has been in receipt of one or more additional increments referred to in rule 4A on the 1st day of November, 1993, shall be paid, on account of computerisation, one increment in the scale of pay applicable to him on the 1st day of November, 1993:

Provided that a Class I Officer who on his first appointment in the Corporation's service was on probation on the 1st day of November, 1993 shall be paid one such increment on completion of one year of service after confirmation.

(2) A Class I Officer who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him or who has been in receipt of one or more additional increments referred to in rule 4A on the 1st day of November, 1993 shall be paid, a fixed personal allowance on account of computerisation equal to the aggregate of the amount of the last increment in the scale of pay applicable to him on the 1st day of November, 1993, the dearness allowance thereon as on the 1st day of November, 1993 and the amount of house rent allowance thereon, if any.

(3) A Class I Officer who is in receipt of an increment on account of computerisation and who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him be paid the fixed personal allowance referred to in sub-rule (2) on the expiry of a period of one year of reaching the maximum of the scale of pay.

(4) Fixed personal allowance, to the extent it does not exceed the amount of the last increment in the scale of pay applicable to him on the 1st day of November, 1993 shall count for the purpose of provident fund and gratuity and for the purpose of pension payable under the Life Insurance Corporation of India (Employees) Pension Rules, 1995."

Explanation: An employee in Class III or in Class II who was in receipt of a Fixed Personal Allowance and who has been promoted to a post in class II on or after the 1st day of November, 1993, shall continue to draw such Fixed Personal Allowance.

11. In the said rules, after rule 9A so inserted, the following shall be inserted which shall be deemed to have taken effect from the 1st day of August, 1994, namely:—

"9b. Conveyance Allowance:

Every Class I Officer, other than an Officer who is in receipt of any conveyance allowance under any of the schemes of the Corporation shall be paid conveyance allowance of Rs. 100/- per month."

[F. No. 2(1)/Ins. III/96 (i)]

C. S. RAO, Jt. Secy. (Insurance)

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to revise the terms and conditions of service of Class I Officers of Life Insurance Corporation of India with effect from the dates specified in the notification. The Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 are being amended accordingly with effect from these dates as specified in the notification.

2. It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

FOOT NOTE :—The principal rules were published vide GSR No. 794(E) dated 11-10-1985 and subsequently amended vide G.S.R. No. 960(E) dated 7-12-1987, G.S.R. No. 493(E) dated 22-4-1988, G.S.R. No. 872(E) dated 22-8-1988, G.S.R. No. 711(E) dated 25-7-1989, G.S.R. No. 816(E) dated 11-10-1990, G.S.R. No. 324(E) dated 10-3-1992, G.S.R. No. 53(E) dated 2-2-1994, G.S.R. No. 597(E) dated 30-6-1995 and G.S.R. No. 94(E) dated 16-2-1996.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1996

भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1996

सा.का.नि. 287(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम, आरंभ और लागू होना:—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1996 है ।

(2) इसमें इसके पश्चात् अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों के उपबंध 1 अप्रैल, 1995 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 2 में,—

(1) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(घ)"अनुदेशों" से कर्मचारीवृन्द नियम के विनियम 51 के उपविनियम (2) के अधीन अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए अनुदेश अभिप्रेत हैं ।"

"(ङ)"विशेष नियमों" से भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989 अभिप्रेत है" ।

(2) खंड (घ) को खंड (च) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा ।

(3) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(छ) उन शब्दों और पदों में जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और जो विशेष नियमों या कर्मचारीवृन्द नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके विशेष नियमों या कर्मचारीवृन्द नियमों में हैं";

3. उक्त नियमों में, नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"4. वेतनमान :

(1) विकास अधिकारियों के वेतनमान निम्नलिखित के अनुसार होंगे :—
2660-155-3435-190-3625-215-3840-द.रो.-230-5680-द.रो.-230-7520 रुपए ।

(2) विकास अधिकारी को उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेतन और उन नियमों के अधीन अनुज्ञेय अन्य भत्ते कर्मचारीवृन्द नियमों और विशेष नियमों के अनुसार विनियमित होंगे ।"

4. उक्त नियमों के नियम 5 में,—

(1) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) विकास अधिकारियों को लागू महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा :—

(क) सूचकांक	औद्योगिक कर्मकारों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ।
(ख) आधार	1960=100 की श्रृंखला में सूचकांक संख्या के 1148
(ग) दर	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 1148 प्वाइंटों के ऊपर त्रैमासिक औसत में प्रत्येक 4 प्वाइंटों पर किया जाएगा । विकास अधिकारियों को महँगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदत्त किया जाएगा ।

मूल वेतन	प्रत्येक 4 प्वाइंटों के लिए महँगाई भत्ते की दर
(i) 4800 रु. तक	मूल वेतन का 0.35 प्रतिशत;
(ii) 4801 रु. से 7700 रु. तक 4800 रु. का 0.35 प्रतिशत धन	4800 रु. से अधिक मूल वेतन का 0.29 प्रतिशत ।
(iii) 7701 रुपए और उससे अधिक	4800 का .आ. 35 प्रतिशत धन 7700 रु. और 4800 रुपए के बीच के अन्तर का 0.29 प्रतिशत धन 7700 रु. से अधिक मूल वेतन का 0.17 प्रतिशत ।

(2) उपनियम (2) में,—"600-604—608-612 के अनुक्रम में 600 प्वाइंट"—अंकों और शब्दों के स्थान पर—1148,1152-1158-1160 रु. के अनुक्रम में 1148 प्वाइंट" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

5. उक्त नियमों के नियम 6 में,—उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्—

"(1) विकास अधिकारियों को, सिवाय उनके जिन्हें निगम ने निवास स्थान आवंटित किया है, मकान किराया भत्ता मापमान 5900 रु. तक के मूल वेतन का 12.5 प्रतिशत की दर पर और 5900 रु. से अधिक मूल वेतन के लिए 10 प्रतिशत की दर पर होगा ।"

6. उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7. नगर प्रतीकात्मक भत्ता:

विकास अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकारात्मक भत्ते का मापमान निम्नानुसार होगा :—

	तैनाती का स्थान	दर
(i)	वे नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक है, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गोवा राज्य के किसी नगर में, गुड़गांव, वाशी और गांधीनगर नगरों में	मूल वेतन का 4.5 प्रतिशत किन्तु 220 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं ।
(ii)	वे नगर जिनकी जनसंख्या 5 लाख और उससे अधिक है किन्तु 12 लाख से अधिक नहीं है । राज्यों की राजधानियों जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक नहीं है, चंडीगढ़, मोहाली, पांडिचेरी और पोर्ट ब्लेयर तथा पंचकुला नगर में।	मूल वेतन का 3.5 प्रतिशत किन्तु 165 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं ।

टिप्पण: (i) इस नियम के प्रयोजन के लिए, जनसंख्या के आंकड़े वे होंगे जो नवीनतम जनसंख्या रिपोर्ट में दिए गए हैं ।

(ii) नगरों के अंतर्गत उनकी बस्तियां भी हैं ।

7. उक्त नियमों के नियम 7क में,—

(क) प्रविष्टी (i) के सामने स्तंभ (2) में "7 प्रतिशत" अंक और शब्द के स्थान पर "4 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) प्रविष्टि (ii) और प्रविष्टि (iii) के सामने स्तंभ (2) में दोनों स्थानों पर "5 प्रतिशत" अंक और शब्द के स्थान पर क्रमश: "3 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

8. उक्त नियमों के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा :—

"8. भविष्य निधि:

(1) परिवीक्षाधीन विकास अधिकारी या अस्थायी आधार पर नियुक्त किए गए विकास अधिकारी या ऐसा विकास अधिकारी जो ओरियंटल गवर्नमेंट सिक्यूरिटी लाइफ एश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड का स्थानांतरित कर्मचारी है जो उस कंपनी की पेंशन निधि में अभिदाय कर रहा है, से भिन्न प्रत्येक विकास अधिकारी निगम द्वारा स्थापित भविष्य निधि में प्रत्येक मास अपने मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से अभिदाय करेगा । निगम भविष्य निधि में प्रत्येक ऐसे विकास अधिकारी के मूल वेतन के वास्तविक अभिदाय की रकम के बराबर अभिदाय करेगा जो ऐसे विकास अधिकारी के अधिकतम 10 प्रतिशत के अधीन होगा ।

परन्तु यह कि निगम ऐसे विकास अधिकारी जो भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1955 द्वारा शासित है कि बाबत भविष्य निधि में ऐसा कोई अभिदाय नहीं करेगा ।

(2) ऐसे विकास अधिकारी जो ओरियंटल गवर्नमेंट सिक्यूरिटी लाइफ एश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड का स्थानांतरित कर्मचारी है और जो उस कंपनी की पेंशन निधि में अभिदाय कर रहा है, नियम द्वारा स्थापित भविष्य निधि में अभिदाय के लिए अनुज्ञात किया जाएगा किन्तु निगम से ऐसे विकास अधिकारियों की बाबत भविष्य निधि में कोई अभिदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।"

9. उक्त नियमों के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"10. साम्यापूर्ण सहायता :

(1) नियम 1 के उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, निगम विद्यमान अधिकारियों की बाबत अनुदेश द्वारा, निम्नलिखित का उपबंध कर सकेगा:—

(i) उस तारीख से जो अप्रैल, 1993 से पूर्व की न हो इन नियमों द्वारा यथापुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन का नियतन और महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा पर्वतीय स्थान भत्ता की मंजूरी;

(ii) उस तारीख से जो 1 अगस्त, 1993 से पूर्व की न हो, इन नियमों द्वारा यथापुनरीक्षित नगर प्रतिकरात्मक भत्ता की मंजूरी;

(iii) उस तारीख से जो 1 नवंबर, 1993 से पूर्व की न हो, नियम 8 के अनुसार भविष्य निधि में अभिदाय; और 1-4-1995 से पूर्व की अवधि के लिए साम्यतापूर्ण सहायता के रूप में वेतन के बकाया की मंजूरी, जो सुसंगत मूल्यांकन वर्षों में उनके तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक का भाग होगी:

परन्तु विकास अधिकारी, ऐसी अवधि के भीतर, जो अनुदेशों द्वारा विहित की जाए, यह चयन कर सकेगा कि वेतन और भत्तों के ऐसे बकाया का पचास प्रतिशत इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के ठीक पश्चात् प्रारंभ होने वाले मूल्यांकन वर्ष के लिए और उसके अतिशेष की बाबत उसके ठीक पश्चात् प्रारंभ होने वाले मूल्यांकन वर्ष के लिए उसके तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक और वार्षिक पारिश्रमिक का भाग होगा ।

स्पष्टीकरण: (1) इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, "विद्यमान विकास अधिकारी" पद से ऐसे कर्मचारी अभिप्रेत हैं जो इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से विकास अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

(2) इस उपनियम के खंड (ii) और खंड (iii) के प्रयोजन के लिए, नियम 4 के उपनियम (1) के उपबंध उपनियम (i) के अनुसार, उपबंधित तारीख से, किन्तु क्रमश: 1 अगस्त, 1993 और 1 नवंबर, 1993 के अपश्चात् प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

(3) संदेह के निराकरण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 अप्रैल, 1995 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित वेतन उस वित्तीय वर्ष के सुसंगत मूल्यांकन वर्षों में वार्षिक पारिश्रमिक का भाग होगा ।

1170 GI-2

(4) निगम कर्मचारिवृन्द नियमों के विनियम 31 में उपविनियम (2) के अधीन उस निमित्त जारी किए गए अनुदेयों द्वारा, उन व्यक्तियों के लिए, जो 1 अप्रैल, 1993 को या उसके पश्चात् किन्तु इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से पूर्व विकास अधिकारी के रूप में काम कर चुके हों, इन नियमों द्वारा यथा पुनरीक्षण वेतनमान में मूल वेतन नियत करने के लिए उपबंध कर सकेगा, उन्हें विकास अधिकारी के रूप में उनकी सेवाओं के समाप्त हो जाने की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत कर सकेगा, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि क्या विकास अधिकारियों के किसी वर्ग को इस रूप में उनकी सेवा की अवधि के लिए कोई साम्यतापूर्ण सहायता के रूप में संदाय किया जा सकता है या नहीं और यदि किया जा सकता है तो उसकी रकम कितनी और उसके निबंधन तथा शर्तें क्या होंगी ।

परंतु विकास अधिकारियों के ऐसे किसी वर्ग की बाबत, जिनकी सेवाएं विशेष नियमों के अधीन समाप्त की गई हैं, साम्यतापूर्ण सहायता के रूप के कोई संदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(5) इस नियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां मूल वेतन इस नियम के अनुसार नियत किया जाता है वहां इन नियमों द्वारा पुनरीक्षित अन्य भत्ते और फायदे भी ऐसे नियतन के आधार पर संदेय होंगे'' ।

10. उक्त नियमों के नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा और 1 नवंबर, 1993 प्रभावी हुआ समझा जाएगा, अर्थात्:—

(1) प्रथम नियुक्ति पर परिवीक्षाधीन विकास अधिकारी या ऐसे व्यक्ति जो 1 नवंबर, 1993 को उसे लागू वेतनमान के अधिकतम तक पहुंच गया हो, से भिन्न विकास अधिकारी को 1 नवंबर, 1993 को उसे लागू वेतनमान में, कंप्यूटरीकरण के कारण एक वेतनवृद्धि संदत्त की जाएगी ।

परंतु ऐसे विकास अधिकारी जो 1 नवंबर, 1993 को नियम की सेवा में अपनी प्रथम नियुक्ति पर परिवीक्षा पर था, को पुष्टि के पश्चात् एक वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर एक ऐसी वेतनवृद्धि संदत्त की जाएगी ।

(2) ऐसे विकास अधिकारी, जो 1 नवंबर, 1993 को उसे लागू वेतनमान के अधिकतम सीमा तक पहुंच गया हो, को 1 नवंबर, 1993 को उसे लागू वेतनमान में अंतिम वेतनवृद्धि की कुल राशि के बराबर कंप्यूटरीकरण के कारण नियत वैयक्तिक भत्ता, उस पर 1 नवंबर, 1993 को यथा विद्यमान महंगाई भत्ता और उस पर मकान किराया भत्ते की रकम यदि कोई हो संदत्त की जाएगी ।

(3) ऐसा विकास अधिकारी, जो कंप्यूटरीकरण के कारण वेतनवृद्धि प्राप्त करता है और जो उसे लागू वेतनमान के अधिकतम सीमा तक पहुंच गया है, को वेतनमान के अधिकतम सीमा तक पहुंचने के एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर उपनियम (2) में निर्दिष्ट नियत वैयक्तिक भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

(4) 1 नवंबर, 1993 को उसे लागू वेतनमान में अंतिम वेतनवृद्धि की रकम से अनधिक सीमा तक नियम वैयक्तिक भत्ता की भविष्य निधि और उपदान के प्रयोजनों के लिए तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 के अधीन संदेय पेंशन के प्रयोजन के लिए गणना की जाएगी ।

स्पष्टीकरण: वर्ग 3 का ऐसा कर्मचारी, जो 1 नवंबर, 1993 को या उसके पश्चात् नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त कर रहा था और विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, ऐसे नियत वैयक्तिक भत्ता निरंतर प्राप्त करता रहेगा ।

(5) पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार किसी विकास अधिकारी को संदत्त नियत वैयक्तिक भत्ता विशेष नियमों के अधीन उसके तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक और वार्षिक पारिश्रमिक का भाग होगा ।

स्पष्टीकरण: संदेहों के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उपनियम (1) के अधीन मंजूर की गई वेतनवृद्धि और, यथास्थिति, उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन संदत्त नियत वैयक्तिक भत्ता नियम 10 में निर्दिष्ट साम्यतापूर्ण सहायता के लिए भी अर्हित होगा ।

[फा. सं. (2)1/बीमा-III/96(ii)]

सी. एस. राव, संयुक्त सचिव (बीमा)

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षित करने की मंजूरी दे दी है । तदनुसार भारतीय जीवन बीमा विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट उन तारीखों से यथा संशोधित किए जा रहे हैं ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण :—मूल नियम सा.का.नि. सं 1091 (अ) तारीख 17-9-1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 962(अ) तारीख 7-12-1987, सा.का.नि. सं. 871 (अ) तारीख 22-8-1988, सा.का.नि. सं. 968 (अ) तारीख 7-11-1989, सा.का.नि. सं. 825 (अ), तारीख 9-10-1990, सा.का.नि. सं. 55(अ) तारीख 21-1-1992, सा.का.नि. सं. 325(अ) तारीख 10-3-1992, सा.का.नि. 54(अ) तारीख 2-2-1994, सा.का.नि.सं. 596 तारीख 30-6-1995 और सा.का.नि. सं. 95(अ) तारीख 16-2-1996 ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 1996

Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revisions of Terms and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 1996

G.S.R. 287(E).—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986, namely :—

1. Short Title, Commencement and Application :—
   (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 1996.
   (2) Save as otherwise provided hereinafter, the provisions of these rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1995.

2 In rule 2 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986 (hereinafter referred to as "the said rules"),—
   (1) after clause (c), the following clauses shall be inserted namely :—
      "(d) 'Instructions' means the instructions issued by the Chairman under sub-regulation (2) of regulation 51 of the Staff Rules."
      "(e) 'Special rules' means the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1989."
   (2) clause (d) shall be renumbered as clasuse (f).
   (3) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—
      "(g) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Special rules or the Staff Rules shall have the same meanings assigned to them in the Special Rules or the Staff Rules";

3. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely :—
   "4. Scale of Pay:
      (1) The scale of pay of Development Officers shall be as under :—
      Rs. 2660-155-3435-190-3625-215-3840-EB-230-5680-EB-230-7520.
      (2) The pay referred to in sub-rule (1) and other allowances admissible to a Development Officer under these rules shall be regulated in accordance with the Staff rules and the Special rules."

4 In the said rules, in rule 5—
   (1) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—
   "(1) The scales of dearness allowance applicable to Development Officers shall be determined as under :—
   (a) Index : All india Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.
   (b) Base : Index Number 1148 in the Series 1960=100.
   (c) Rate : For every four points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 1148 points, Development Officers may be paid dearness allowance at the following rates :—

	Basic Pay	**Rates of deanress allowance for every 4 points.**
(i)	Upto Rs. 4800/-	0.35% of basic pay;
(ii)	Rs. 4801/- to Rs. 7700/-	0.35% of Rs. 4800/- plus 0.29% of basic pay in excess of Rs. 4800/-
(iii)	Rs. 7701/- and above	0.35% of Rs. 4800/- plus 0.29% of difference between Rs. 7700/ and Rs. 4800/- plus 0.17% of basic pay in excess of Rs. 7700/-"

   (2) In sub-rule (2), for the figures and words "600 points in the sequence —600-604-608-612", the figures and words "1148 points in the sequence—1148-1152-1156-1160" shall be substituted.

5 In the said rules, in rule 6, forsub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—
   "(1) The scale of house rent allowance of Development Officers, except those who have been allotted residential accommodation by the Corporation shall be at the rate of 12.5 per cent of the basic pay up to Rs. 5900 and at the rate of 10% of the basic pay which is in excess of Rs. 5900."

6. In the said rules, for rule 7, the following shall be substituted, namely:—
   "7.City Compensatory Allowance :
   The scales of city compensatory allowance payable to Development Officers shall be as under :—

	Place of Posting	Rate
(i)	Cities with population exceeding 12 lacs, Faridabad, Ghaziabad, Noida, any city in the State of Goa, cities of Gurgaon, Vashi and Gandhinagar.	4.5% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 220/- per month.
(ii)	Cities with population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs, State Capitals with population not exceeding 12 lacs, Chandigarh, Mohali, Pondicherry, Port Blair and the city of Panchkula.	3.5% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 165/- per month.

Note:(i) For the purpose of this rule, the Population figures shall be those in the latest Census Report.
(ii) Cities shall include their urban agglomerations."

7. In the rule 7A of the said rules—
   (a) against entry (i), in column (2) for the figure "7%" the figure "4%" shall be substituted;
   (b) against entries (ii) and (iii), in column (2) for the figure and word "5 per cent" at both the places, the figure and word "3 per cent" shall be substituted respectively.

8. For rule 8 of the said rules, the following rule shall be substituted:—

"8. Provident Fund:

(1) Every Development Officer of the Corporation, other than a Development Officer on probation or a Development Officer appointed on a temporary basis or a Development Officer who is a transferred employee of the Oriental Government Security Life Assurance Company Limited, who is contributing to the Pension Fund of that Company, shall contribute every month to the Provident Fund established by the Corporation at the rate of ten per cent of his basic pay. The Corporation shall contribute to the Provident Fund an amount equal to the actual contribution of each such Development Officer subject to a maximum of ten per cent of the basic pay of each such Development Officer:

Provided that the Corporation shall not be required to make any such contribution to the Provident Fund in respect of a Development Officer governed by the Life Insurance Corporation of India (Employees) Pension Rules, 1995.

(2) Development Officers who are transferred employees of the Oriental Government Security Life Assurance Company Limited and who are contributing to the Pension Fund of that company, shall be permitted to contribute to the Provident Fund established by the Corporation but the Corporation shall not be required make any contribution to the Provident Fund in respect of such Development Officers."

9 For rule 10 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

10. Equitable Relief:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 1, the Corporation may, in respect of existing Development Officers, by instructions, provide for—

(i) the fixation of basic pay and the grant of dearness allowance, house rent allowance and hill allowance in the scale of pay as revised by these rules, with effect from a date not earlier than the 1st day of April, 1993;

(ii) the grant of city compensatory allowance as revised by these rules, with effect from a date not earlier that 1st day of August, 1993;

(iii) contribution to the Provident Fund in accordance with rule 8, from a date not earlier than the 1st day of November, 1993;

and grant arrears of salary for the period prior to 1-4-1995 by way of equitable relief, which shall form part of their ad hoc annual remuneration and annual remuneration in the relevant appraisal years :

Provided that a Development Officer may within such period as may be prescribed by instructions, choose that fifty per cent of such arrears of pay and allowances shall form part of his ad hoc annual remuneration and annual remuneration for the appraisal year commencing immediately after the date of publication of these rules and in respect of the balance thereof, for the appraisal year commencing immediately thereafter.

Explanation :— (1) For the purpose of this sub-rule, the expression "existing Development Officers" means employees who are working as Development Officers on the date of publication of these rules.

(2) For the purpose of clause (ii) and clause (iii) of this sub-rule, the provisions of sub-rule (1) of rule 4 shall be deemeed to have come into force from the date provided for in accordance with clause (i) of sub-rule (1) but not later than the 1st day of August, 1993 and the 1st day of November, 1993, respectively.

(3) For the removal of doubts, it is clarifed that the salary relating to the financial year commencing on the 1st April, 1995, shall form part of the annual remuneration in the relevant appraisal years in that financial year.

(4) The Corporation may provide by instructions issued in this behalf under sub-regulation (2) of regulation 51 of Staff Rules for fixation of basic pay in the scales of pay as revised by these rules of persons who may have worked as Development Officers on or after 1st April, 1993, but before the date of publication of these rules, classify them according to the nature of cessation of their service as Development Officers and specify whether the payment by way of equitable relief may be allowed to any class of Development Officers at all for the period of their Service as such and if so, the amount and the terms and conditions thereof:

Provided that not payment by way of equitable relief shall be allowed in respect of the class of Development Officers whose services may have been terminated under the Special Rules.

(5) Subject to the other provisions of this rule, where basic pay is fixed in accordance with this rule, the other allowances and benefits as revised by these rules shall also be payable on the basis of such fixation.

10. After rule 10 of the said rules, the following rule shall be inserted and shall be deemed to have taken effect from the 1st day of November, 1993, namely:—

"10A. Fixed Personal Allowance:

(1) A Development Officer other than a Development Officer on probation on first appointment or who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him on the 1st day of November, 1993, shall be paid, on account of computerisation. One increment in the scale of pay appplicable to him on the 1st day of November, 1993:

Provided that a Development Officer who on his first appointment in the Corporation's service was on probation on the 1st day of november, 1993 shall be paid one such increment on completion of one year of service after confirmation.

(2) A Development Officer who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him on the 1st day of November, 1993, shall be paid, a fixed personal allowance on account of computersiation equal to the aggregate of the amount of the last increment in the scale of pay applicable to him on the 1st day of November, 1993, the dearness allowance thereon as on the 1st day of November, 1993 and the amount of house rent allowance thereon, if any.'

(3) A Development Officer who is in receipt of an increment on account of computerisation and who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him shall be paid the fixed personal allowance referred to in sub-rule (2) on the expiry of a period of one year of reaching the maximum of the scale of pay.

(4) Fixed personal allowance, to the extent it does not exceed the amount of the last increment in the scale of pay applicable to him on the 1st day of November, 1993, shall count for the purposes of provident fund and gratuity and for the purpose of pension payable under the Life Insurance Corporation of India (Employees) Pension Rules, 1995.

Explanation:—An employee in Class III who was in receipt of a Fixed Personal Allowance and who has been appointed as a Development Officer on or after the 1st day of November, 1993, shall continue to draw such Fixed Personal Allowance.

(5) Fixed personal allowance paid to a Development Officer in accordance with the foregoing provisions shall form part of his ad hoc annual remuneration and annual remuneration under the Special Rules.

Explanation:—For the removal of doubts, it is clarified that the increment granted under sub-rule (1) and the fixed personal allowance paid under sub-rule (2) or sub-rule (3), as the case may be, shall also qualify for equitable relief referred to in rule 10.

[F.No. 2(1)/Ins.III/96(ii)]
C.S. RAO, Jt. Secy. (Insurance)

1770 GI/96-3

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded to revise the terms and conditions of service of Development Officers of Life Insurance Corporation of India with effect from the dates specified in the notification. The Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986 are being amended accordingly with effect from these dates as specified in the notification.

2. It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

FOOT NOTE:—The principal rules were published vide G.S.R. No. 1091(E) dated 17-9-1986 and subsequently amended vide G.S.R. No. 962(E) dated 7-12-1987, G.S.R. No. 871(E) dated 22-8-1988, G.S.R. No. 968(E) dated 7-11-1989, G.S.R. No. 825(E) dated 9-10-1990, G.S.R. No. 55(E) dated 21-1-1992, G.S.R. No . 325(E) dated 10-3-1992, G.S.R. No. 54(E) dated 2-2-1994, G.S.R. No. 596 dated 30-6-1995 and G.S.R. No. 95(E) dated 16-2-1996.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996